

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम व  
 इजलास दुगप्रसाद मीना R.A.S.

जगन्नाथ पिठौरया  
 रामस्वरूप  
 जाति मीना निवासी  
 शैखपुरा तहसील  
 टोडाभीम

## उन्वान

## बनाम

1. प्रहलाद पुत्र जलधारी  
 जाति मीना निवासी शैखपुरा
2. तहसीलदार टोडाभीम
3. उप तहसीलदार / उप फंजीयक  
 बालघाट

दावा बाबत दोषणा खोतीदारी एवं स्थायी निवेद्यपत्रा मुकदमा नं० 77 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई श्री सुदेश चन्द शर्मा रिड्युकेट व हाजिरी  
श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट मिनकानिब गुदई सबरु हजार  
 जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

अतः यह दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा 11  
 रैसज्यूडिकेट के सिद्धान्त के आधार खारिज किया जाता है।

मुबलिंग बशरह बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय  
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।  
 त मौर हस्तलिखत व मुहर अदायगी के आज तारीख 20 माह 8 सन् 2019

जारी की गई।  
 मुहर दस्तखत उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करोली)  
 ओहदा

ई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
हन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
ग्रेस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।